Title: Requested to ensure reservation for the physically handicapped persons by the state governments and also to adopt a clear and fixed policy regarding reservation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन 50 साल से जो आरक्षण पूरा होना चाहिए, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। भिन्न-भिन्न राज्यों में दिन-प्रतिदिन बैकलाग की संख्या बहुत बढ़ रही है। परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षित लोगों में निराशा छाई हुई है। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि जिन राज्यों में बैकलाग की संख्या ज्यादा है, उसे तुरंत भरने के लिए यहां से आदेश दिया जाए और बैकलाग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इस कारण जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई उनके मां-बाप बीच में ही यह कहकर छुड़ा रहे हैं कि जब पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो तुम्हे कैसे मिलेगी। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में कोई पालिसी निश्चित होनी चाहिए। जिस एकक का विनिवेश हो रहा है उसमें भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की कोई निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिए ।